समयबद्ध/महत्वपूर्ण

संख्या-50/2023/1516/60-1-2023

प्रेषक,

वीना कुमारी,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1- समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।

2- समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

3- समस्त मण्डलीय उप मुख्य परिवीक्षा अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

महिला कल्याण अनुभाग-1 **लखनऊ::दिनांक 28 नवम्बर, 2023**

विषय:- प्रदेश में राजकीय एवं स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से संचालित गृहों का निरीक्षण व गृहों में आवासित बच्चों का विद्यालयों में रजिस्ट्रेशन कराकर उन्हें शिक्षित कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा-54 तथा उक्त अधिनियम की धारा-110 की उप धारा (1) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके भारत सरकार द्वारा बनाये गये आदर्श नियम के अनुरूप किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) नियम-2019 के नियम-41 में रजिस्ट्रीकृत संस्थाओं का निरीक्षण किये जाने के प्राविधान है। अधिनियम में प्रदत्त शक्तियों के अधीन मण्डलायुक्त, जिलाधिकारी, मण्डलीय उप मुख्य परिवीक्षा अधिकारियों, जिला स्तरीय अधिकारियों (मुख्य विकास अधिकारी, ए.डी.एम., संबंधित एस.डी.एम.) द्वारा अधिनियम/नियम में प्राविधानित नियमों के आलोक में बाल देखरेख संस्थाओं का समय-समय पर निरीक्षण किया जाना तथा संबंधित संस्थाओं का सुचारु रूप से संचालन किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। मण्डल तथा जिला स्तर पर उक्त संस्थाओं के निरीक्षण नहीं किये जा रहे हैं तथा इनमें कोई भी सुधारात्मक कार्य जिला स्तर पर नहीं किया जा रहा है। जिला स्तर पर संस्थाओं के निरीक्षण न किये

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

जाने से संस्थाओं में आवासित बच्चों तथा महिलाओं को अप्रिय स्थिति का सामना करना पड़ रहा है।

2- सूच्य है कि प्रदेश में मिशन वात्सल्य योजना के अन्तर्गत संचालित गृहों में बाल सहायक वातावरण विकसित करने, देखभाल के न्यूनतम मानकों की निगरानी तथा संस्थागत परिस्थितियों को आवासित बच्चों के अनुकूल बनाने हेतु आवश्यक है कि मिशन मोड में कार्य किया जाय। समय-समय पर हुए निरीक्षण में राजकीय एवं स्वैच्छिक संस्थाओं के संचालन में भवनों की उपयुक्तता, साफ-सफाई, सुरक्षा, पर्याप्त स्थान का अभाव, शिक्षा, प्रशिक्षण की कमी, सी0सी0टी0वी0 कैमरों की कार्यशीलता, फर्नीचर की उपलब्धता, वस्त्र, बिस्तर आदि से सम्बन्धित कमियां एवं समस्याएं प्रकाश में आयी है। मा. उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित जनहित याचिका संख्या-2495/2023 SUO MOTO बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित आदेश दिनांक 19.10.2023 द्वारा प्रदेश में सचालित बाल देखरेख संस्थाओं में व्याप्त कमियों के संबंध में संवेदनशील टिप्पणी की गयी है।

3- किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के अन्तर्गत प्रदेश में संचालित बाल देखरेख संस्थाओं में विविध आयु वर्ग के बच्चे आवासित है, जिनको आवश्यकतानुसार पूर्व प्राथमिक शिक्षा, विभागीय/बेसिक शिक्षा विभाग के माध्यम से तथा प्रत्येक संस्था में आवासित बच्चों को शिक्षा के साथ जोड़ने हेतु उनका प्रवेश राजकीय/निजी विद्यालयों में कराया जाता है। प्रायः यह देखा जा रहा है कि बाल देखरेख संस्थाओं में आवासित बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से उनका रजिस्ट्रेशन विभागीय/बेसिक तथा राजकीय/निजी विद्यालयों में नहीं हो पा रहा है, जबकि संस्थाओं में आवासित बच्चों को शिक्षित कराया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

4- उक्त वर्णित परिस्थितियों के क्रम में निर्देशित किया जाता है कि मण्डल में संचालित सभी राजकीय सम्प्रेक्षण गृह (किशोर/किशोरी), राजकीय बाल गृह (शिशु), राजकीय बाल गृह (बालक/बालिका), राजकीय विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरण तथा राजकीय पश्चातवर्ती देखरेख संगठन (महिला/पुरूष) संस्थाओं में आवासित बालकों/बालिकाओं का शत-प्रतिशत दाखिला बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों, निजी विद्यालयों, राज्य सरकार द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों में कराया जाना सुनिश्चित किया जाय, जिससे उक्त संस्थाओं में आवासित निराश्रित बच्चे उच्च शिक्षा ग्रहण कर सकें। अनेक स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा भी बाल गृहों का संचालन किया जा रहा है, इनका भी निरीक्षण कर यह स्पष्ट किया जाना आवश्यक है कि बच्चे किस स्थिति में आवासित हैं तथा उनको विकास का अनुकूल माहौल प्राप्त

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

है अथवा नहीं। ऐसी संस्थाओं में आवासित बच्चों में से संस्थावार किस आयु वर्ग के कितने बच्चों का शिक्षा हेतु विद्यालयों में रजिस्टेªशन नहीं हुआ है ? शिक्षा से वंचित ऐसे सभी बच्चों का शत-प्रतिशत रजिस्ट्रेशन कराकर उन्हें शिक्षा हेतु विद्यालयों में भेजा जाना सुनिश्चित करें तथा 10 दिवस के भीतर कार्यवाही पूर्ण कर निदेशक, महिला कल्याण के माध्यम से अवगत कराया जाय।

5- प्रकरण अत्यन्त महत्वपूर्ण तथा मा. उच्च न्यायालय के आदेशों से आच्छादित है। मण्डलायुक्त द्वारा अपने मण्डल में उक्त कार्यों की व्यापक समीक्षा कराकर समयान्तर्गत कार्यवाही पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करें। मण्डलीय उप मुख्य परिवीक्षा अधिकारी का कर्तव्य है कि वे स्वयं मण्डलायुक्त से सम्पर्क कर उक्त दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। मण्डलायुक्त द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत कार्यो की समीक्षा कर समयबद्ध उक्त कार्यवाही को पूर्ण करेंगे। मण्डलायुक्त स्तर से यह भी समीक्षा कर ली जाय कि यदि महिला कल्याण विभाग के अधिकारियों द्वारा किसी भी प्रकार की शिथिलता प्रदर्शित की जा रही है, तो ऐसी स्थिति में संबंधित अधिकारी/कर्मचारी का उत्तरदायित्व निर्धारित कर शासन को 10 दिवस में अवगत कराया जाय तथा कृत कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय की ई-मेल (pswcd.up@gmail.com) पर भी भेजा जाय।

(वीना कुमारी)
प्रमुख सचिव

संख्या-50/2023/1516(1)/60-1-2023, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक, महिला कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
2- समस्त जिला परिवीक्षा अधिकारी, उ0प्र0।
3- गार्ड फाइल।

(सुनील कुमार यादव)
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in